न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

51 / 2018

हस्तीराम मीणा पुत्र श्री हरिराम मीणा ग्राम– खेड़ीमानपुर पो0 सिरस तह0 निवाई जिला–टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 19.12.2018

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 17–9–2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 17–9–2018 एंव 21–6–2018 पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्र कमांक 5727 दिनांक 29–6–2018 से उपखण्ड अधिकारी निवाई को वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराने हेतु अग्रेषित किया गया। आवेदन में जो सूचना चाही गई हे वह निम्न प्रकार है–

1–ग्राम खेड़ीमानुपर खसरा नम्बर 114 पटवार हल्का बस्सी तहसील निवाई में चरागाह भूमि से अतिकमण हटवाने के लिए मेरे द्वरा दिनांक 21–6–2018 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक राज0 को भेजे गये शिकायत प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या–क्या कार्यवाही हुई। जो कि आपके जिला कलेक्टर कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 26–6–2018 को प्राप्त हुई साक्ष्य प्रति संलग्न है।

2–शिकायत पत्र में उल्लेखित दिनांक 23–10–2015 से अब तक विभिन्न माध्यमों से चरागाह भूमि से अतिकमण हटाने के लिए शिकायत करने के बावजूद भी अब तक अतिकमण क्यो नहीं हटाया गया।

3–यह अतिकमण कब तक हटवा दिये जावेंगे।

4–चरागाह भूमि से अतिकमण हटाने के लिए कोन–कोनसे अधिकारी ओर कर्मचारी जिम्मेदार हैं। अभी तक अतिकमण नहीं हटाने के लिए उनके विरूद्ध भी कोई कार्यवाही अपेक्षित है या कार्यवाही की जा सकती है। कृपया बतावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब

जिला कलेक्टर
टोंक

किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को पत्र कमांक 1509 दिनांक 22—11—2018 व 1542 दिनांक 11—12—18 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई ने पत्र कमांक 4460 दिनांक 19—12—2018 से जवाब प्रेषित किया है। जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना के सम्बन्ध में आवेदक को सूचित नहीं किया गया है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक